(c) For the development of horticulture in the State, the following schemes are being implemented during the Eighth Five Year Plan:

1. Development of Tropical Arid & Temperate Fruits.
2. Development of Cashewnut.
3. Development of Spices.
4. Development of Vegetables.
5. Use of Plastics in Agriculture.
6. Development of Root & Tuber Crops.
7. Development of Betelvine.
8. Development of Commercial Floriculture.
9. Development of Medicinal & Aromatic Plants.

Under these schemes, assistance is being provided for setting up of nurseries for fruits and cashew, production of foundation seeds, planting of new areas under different horticultural crops, establishment of spawn units for mushroom, use of drip irrigation system, greenhouses and plastic mulches, adoption of plant protection measures etc.

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

1445. **श्री राधवजी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विदिशा जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विदिशा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) विदिशा जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव अधूरा है। जिला के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना प्रस्ताव निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भेजें।

दिल्ली के महाविद्यालयों में शुल्कों में भारी वृद्धि

1446. **श्री राम जेठमलानी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों द्वारा महाविद्यालयों को दिये जाने वाले शुल्कों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो 1990-91 और 1996-97 के शैक्षणिक वर्षों में दिल्ली के महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए औसतन कितना-कितना शुल्क लिया गया;

(ग) क्या यह भी सही है कि शुल्क में वृद्धि के कारण समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा आयोजित किसी भी पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाया है। तथापि, इसने विश्वविद्यालय विकास निधि को 40 रु० प्रति वर्ष बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा पानी, बिजली, खेलों तथा पुस्तकालय आदि के लिए दिये जाने वाले वार्षिक शुल्क को संशोधित कर रहे हैं। यह शुल्क प्रत्येक कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न है। इस समय कई कॉलेजों में एक मुश्त वार्षिक प्रतिदेय जमाराशि सहित औसत मासिक शुल्क 100/- रु० से 200/- रु० के बीच है। वर्ष 1990-91 के दौरान यह औसत 50/- रु० से 100/- रु० के बीच थी।

(ग) एवं (घ) यद्यपि कॉलेजों में उच्च शिक्षा का व्यय अनावश्यक रूप से अधिक नहीं है, फिर भी निर्धन